CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
7 APR 1979
GOVT. OF INDIA

रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1979 (चैत्र 3, 1901)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1979 (CHAITRA 3, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	161
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	365
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	17
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	219
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	813
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	815
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	103
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2273
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	175
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	17
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1037
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	33

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	161
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	365
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	219
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	813
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	815
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	103
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	273
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	17
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	17
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1037
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	33

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1979

सं० 9-प्रेज/79—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

1. श्री रामजीभाई भीकाभाई गोहेल,
रामेश्वर भवन, महिला कोर्ट,
मीट्ठा शेरी, वेरावल,
जिला जूनागढ़,
गुजरात।

19 अगस्त, 1977 को एक छोटे स्टीमर "गुल्मा" के इंजिन में कुछ खराबी पैदा हो गयी और वेरावल (जिला जूनागढ़) में उसे लंगर डालना पड़ा। स्टीमर के मुख्य अधिकारी, मुख्य इंजीनियर तथा एक खलासी ने एक लाइफ-बोट उतारी और वेरावल किनारे की ओर आगे बढ़े। परन्तु तूफानी समुद्र ने नाव को चलने नहीं दिया और वह उलट गयी तथा तीनों व्यक्ति समुद्र में जा गिरे। वेरावल के एक युवक नाविक और मछुए श्री रामजी भाई भीकाभाई गोहेल ने इस दुर्घटना को देखा। वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, पानी के किनारे की दीवार से तुरन्त समुद्र में कूद पड़ा और उनमे से दो को सुरक्षित किनारे पर ले आया। फिर तीसरे व्यक्ति को बचाने के लिए वह 5 से 6 मीटर ऊंची विशाल लहरों के प्रतिकूल तैर कर गया किन्तु वह पहली कोशिश मे सफल नहीं हो सका और पानी ने उसे पीछे फैंक दिया। फिर भी, उसने हिम्मत नहीं हारी और सांस लेकर तीसरे व्यक्ति को भी निकाल लाया।

श्री रामजीभाई भीकाभाई गोहेल ने इस प्रकार अपनी जान को बहुत बड़े खतरे में डालकर, समुद्री तूफान में डूबने से तीन व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य साहस एवं तत्परता का परिचय दिया।

2. श्रीमती अम्बरामल मालू,
कुन्नामंगलम अमसीम और दीसोम,
पो० ओ० कुन्नामंगलम,
जिला कोजीकोड,
केरल। (मरणोपरांत)

27 अक्तूबर, 1977 को श्रीमती अम्बरामल मालू काम से कुन्नामंगलम गांव में पुनूर पुज्हा के किनारे से वापस घर आ रही थी तो उसने एक लड़की की असहाय चिल्लाहट सुनी, जो लगभग 6 मीटर गहरी नदी में डूबने ही वाली थी। श्रीमती मालू अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न किए बिना तत्काल नदी में कूद पड़ी और उस लड़की को किसी प्रकार नदी के किनारे तक ले आयी। लड़की तो बच गयी लेकिन तब तक श्रीमती मालू थक कर चूर हो चुकी थी और अपनी जान की रक्षा न कर सकी और नदी मे डूब गयी।

इस प्रकार श्रीमती अम्बरामल मालू ने अपनी जान पर खेल कर एक मानव जान बचाकर अदम्य साहस, उच्च कोटि की जन सेवा एवं तत्परता का परिचय दिया।

क्षेम राज गुप्ता,
राष्ट्रपति के उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1979

सं० 10-प्रेज/79—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

1. श्री शेखलाल शेख हुसन,
ढोकर गली, नन्दगांव,
तालुक—नन्दगांव,
जिला नासिक,
[महाराष्ट्र।

21 जुलाई, 1977 को लगभग 5 बजे शाम के ड्राइवर श्री शेखलाल शेख हुसन नन्दगांव चालिसगांव राज्य परिवहन की बस को चलाते हुए देखा कि मनयाद नदी में बाढ़ आ गयी है और कई गाड़ियां, तथा 700 के लगभग यात्री नदी के दोनों तटों पर असहाय खड़े हैं तथा नदी के ऊपर का एक मात्र पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका था। श्री हुसन ने बस रोकी और अन्य व्यक्तियों की तरह बाढ़ के पानी के उतर जाने की इन्तजार करने लगा। कुछ समय बाद बाढ़ का पानी घटने लगा और एक व्यक्ति ने अपनी बैलगाड़ी के साथ सही सलामत नदी पार कर ली। देखादेखी में एक और व्यक्ति भी अपनी बैलगाड़ी से, जिसमें 7 अन्य आदमी थे नदी पार करने लगा। जब वह पुल के बीच में पहुंचा तो बाढ़ के पानी की एक ताजी लहर आयी जिसने बैलगाड़ी को इसमें बैठे हुए यात्रियों समेत नदी में फैंक दिया डूबते हुए लोगों ने सहायता के लिये शोर मचाया यद्यपि दो व्यक्ति तैर कर सुरक्षित बाहर आ गए लेकिन दल के बाकी लोग नदी में बहे जा रहे थे। यह देख कर श्री हुसन ने तत्काल अपनी वर्दी उतारी और नदी में कूद पड़ा। उसने पहले एक महिला को पकड़ा जो आतंक और डर के मारे उससे चिपट गयी और वे दोनों ही डूबने लगे। लेकिन श्री हुसन महिला को अपनी पीठ पर लेने में सफल हो गए और उसे नदी के किनारे पर ले आए। फिर उसने दुबारा नदी में छलांग लगाई और एक लड़की को, जो काफी दूर बह गयी थी, को सुरक्षित बाहर ले आये। इस प्रकार उसने तीन अन्य महिलाओं को भी बचा लिया। इतने में एक आदमी डूब गया और उसे बचाया नहीं जा सका।

श्री शेखलाल शेख हुसन ने अपनी जान को भारी खतरे में डालकर चार औरतों और एक बच्चे की जान बचाकर उच्चकोटि की जन सेवा, सूझबूझ तथा अदम्य साहस का परिचय दिया।

2. श्री वेल्लास्वामी परियास्वामी,
मजदूर, लाईटहाउसेज और लाईटशिप,
विभाग अण्डमान और निकोबार,
द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर,
अण्डमान और निकोबार।

3 दिसम्बर, 1977 को नाव का इंजन खराब हो जाने के कारण 12 विभागीय श्रमिकों का एक दल, जो उत्तरी खाड़ी पोर्ट ब्लेयर मे काम करके लौट रहा था, तूफानी समुद्र में फंस गया। रात इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखायी नहीं दे रहा था और जिस स्थान पर नाव घिरी हुई थी वह स्थान चट्टानों में घिरा हुआ था। इस कठिन परीक्षा के समय एक श्रमिक श्री वेल्लास्वामी परियास्वामी तूफानी समुद्र में कूद पड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना 366 मीटर की दूरी तैर कर चट्टानी किनारे तक गया

और उसके बाद 6.4 किलोमीटर दौड़ कर उसने पोर्ट ब्लेयर में लाईट-हाउस के निदेशक को घिरी हुई नाव के बारे में सूचना दी। निदेशक मछली पकड़ने वाली डिंगी और "एम० वी० तरेशा" के मास्टर की मदद से घिरे हुए लोगों को दूसरे दिन प्रातः किनारे पर ले आये।

श्री वैल्लास्वामी पेरियास्वामी ने अपनी जान को भारी खतरे में डालकर अदम्य साहस, बुद्धि चातुर्य, सूझ-बूझ का परिचय दिया।

3. श्री घीसू लाल भण्डारी,
43, गृह निर्माण समिति (भवन से ऊपरी मंजिल पर)
एन०डी०एस०ई०, भाग-1,
नई दिल्ली।

10 अक्तूबर, 1978 को बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में ट्रक में से खाना बनाने वाली गैस के सिलिन्डरों को उतारते समय आग लग गई और वे फट गए। आग से ट्रक और आसपास की झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गयी। गैस के सिलन्डरों के फटने से कुछ पक्के भवनों को भी क्षति पहुंची। सिलन्डरों के फटने की आवाज सुनकर श्री घीसू लाल भण्डारी जो नजदीक ही रहता था, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक औरत जिसने एक हफ्ते पहले एक बच्चे को जन्म दिया था अपने बच्चे के साथ एक झुग्गी में घिरी हुई थी। श्री भण्डारी तत्काल भागकर झुग्गी में गये, बच्चे को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। ऐसा करने में उसके टांग में जलने के कारण कुछ खरोंच लग गई लेकिन इनकी परवाह किए बिना वह दुबारा उस बिमार स्त्री को निकालने के लिए झुग्गी में गया। घने धुएं के बीच से उस औरत को लाते हुए उसके सिर में कुछ चोटें आयी। फिर भी वह उस औरत को सुरक्षित बाहर निकाल लाया।

श्री घीसू लाल भण्डारी ने इस तरह अपनी जान को गम्भीर संकट में डालकर आग में फंसी दो जानों को बचाने में बड़े साहस और तत्परता का परिचय दिया।

4 श्री कृष्ण कुमार मिश्र,
34/270, पाल बीस्ला,
अजमेर राजस्थान।

पहली, अगस्त, 1978 को प्रात: छ: बजे दस वर्ष का एक लड़का जो अपनी गोद में एक साल का छोटा बच्चा लिए हुए था, अजमेर स्टेशन के प्लेटफार्म से जब 31 अप जनता एक्सप्रेस पर चढ़ने को कोशिश कर रहा था तो वह फिसल गया और वे प्लेटफार्म तथा चलती हुई गाड़ी के बीच गिर गए। टिकट कलेक्टर श्री कृष्ण कुमार मिश्र जिसने इस घटना को देखा, अपनी जान के गंभीर खतरे की परवाह किये बिना इन दोनों बच्चों को बचाने के लिए फौरन दौड़ पड़े। वे स्वयं प्लेटफार्म पर लेट गए और उन्होंने बच्चों को अपने बाजुओं में पकड़ लिया और उन्हें प्लेटफार्म के साथ दबाए रखा। जब तक रेलगाड़ी रुकी, आठ डिब्बे उन बच्चों के पास से गुजर चुके थे। उक्त कार्रवाई में श्री मिश्र को कुछ चोटें आयी परन्तु उन्होंने बच्चों को बचा लिया।

श्री कृष्ण कुमार मिश्र ने अपनी जान को भारी संकट में डालकर दो बच्चों की जानें बचाने में उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा, सूझबूझ तथा अदम्य साहस का परिचय दिया।

खेम राज गुप्ता,
राष्ट्रपति के उप-सचिव

सं० 11 प्रेज/79—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

1. मास्टर अरायंगल मोहम्मद,
पीहमन्ना, डाकघर इडायशा,
जिला मल्लापुरम,
केरल।

27 अप्रैल 1978 को श्रीमती असमाबी अपनी 2½ वर्षीय भतीजी के साथ चलियार नदी पर गई। वहां पहुंच कर श्रीमती असमाबी अपने कपड़े धोने में लग गयी और लड़की को नदी के किनारे पर अकेली छोड़ दिया। बच्ची फिसल कर बिना किसी शोर के पानी में चली गई। श्रीमती असमाबी जो कपड़े धोने में व्यस्त थी तथा उसे दुर्घटना का पता भी नहीं चला। बच्ची सांस लेने के संघर्ष में पानी में ऊपर नीचे जाती रही। 13 वर्षीय मास्टर अरायंगल मोहम्मद जो पास में मछली पकड़ रहा था, ने डूबते हुए बच्चे को देखा। अपनी जान के खतरे की परवाह किये बिना वह तुरन्त पानी में कूद पड़ा और बच्चे को पानी से निकाल कर सुरक्षित किनारे पर ले आया।

मास्टर अरायंगल मोहम्मद ने अपनी जान को भारी खतरे की परवाह न करते हुए परिस्थिति के अनुसार डूबने से बच्चे की जान बचाकर साहस एवं तत्परता का परिचय दिया।

2 श्री काशीनाथ विष्णु गोरे
भवन नं० 22 कमरा नं० 894,
डी० एन० नगर, अंधेरी (पश्चिमी),
बम्बई,
महाराष्ट्र।

12 मई 1978 को श्री जी० एल० भान वरिष्ठ उप-निदेशक (टी० पी०टी०) को बम्बई के गेट वे आफ इंडिया से एक लांच में तट से 7-8 किलोमीटर दूर लंगर डाले हुए जहाज में जाना पड़ा। जहाज के पास पहुंचने पर श्री भान लांच की छत पर चढ़ गये ताकि वे जहाज के गेंगवे में पहुंच जांए और उन्होंने गेंगवे को पकड़ लिया। उसी समय तूफानी समुद्र के कारण लांच ने तूफान में बहना शुरू कर दिया और श्रीभान जो गेंगवे के एक ओर लटके हुए थे शीघ्र ही समुद्र में गिर गए। श्री काशीनाथ विष्णु गोरे एम० टी० ड्राईवर ने जो श्रीभान के साथ थे तत्काल समुद्र में छलांग लगा दी और श्रीभान को पकड़ लिया। तब लांच पर सवार लोगों ने उनकी ओर रस्सी फैंकी परन्तु वे रस्सी को नहीं पकड़ सके क्योंकि तूफान के कारण लांच और आगे चला गया था और श्री गोरे, श्रीभान को, जो तैरना नहीं जानते थे, पकड़े रहे और 15—20 मिनट तक अशान्त समुद्र में संघर्ष करते रहे और श्रीभान सहित पानी में तैरते रहने में सफल हुए। उसी समय लांच तेजी से उनके पास आया और उनके लिए लाइफ बोट्स फैंके। उन्होंने लाइफ बोट्स पकड़ लिये और उनकी जानें बच गयीं।

श्री काशीनाथ विष्णु गोरे ने अपनी जान के भारी खतरे की परवाह न करते हुए श्रीभान की जान बचाकर कर्तव्य परायणता, सूझबूझ और उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया।

3 श्री मंतप्पा शिवालिंग,
मंड्या यूनिट
डोर नं० 2622 दूसरा क्रास,
गांधी नगर, मंड्या,
कर्नाटक।

28 सितम्बर 1977 को सुबह लगभग 10 बजे मंड्या कस्बे में होसाहाल्ली निवासी श्रीमती महादेवम्मा (22 वर्षीय) कुएं से पानी खींचते समय उसी में गिर पड़ी। इस महिला को बचाने के लिए कुएं के पास कुछ लोग सहायता लिए चिल्लाए। श्री मंतप्पा शिवालिंग जो रात की ड्यूटी पूरी करके घर आ रहा था शोर सुनकर घटना स्थल पर पहुंचा। जब उसने देखा कि उपस्थित लोगों में से महिला को बचाने के लिए कुएं में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है तो वह पानी खींचने वाली रस्सी के सहारे तुरन्त कुएं में कूद गया। महिला की कमर में उस रस्सी को बांध कर उसने ऊपर खड़े लोगों से रस्सी खींचने को कहा। वह स्वयं दूसरी रस्सी की सहायता से कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि महिला बेहोश अवस्था में है और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तब उसने उसका सांस चलाने के लिए प्रथम चिकित्सा सहायता से कृत्रिम श्वासोच्छवास प्रदान किया। फिर उस महिला को आगे की चिकित्सा के लिए अर्ध-चेतनावस्था में अस्पताल पहुंचाया।

श्री मंतप्पा शिवालिंगू ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए डूबती हुई महिला के प्राण बचाने में बड़ी तत्परता और साहस का परिचय दिया।

4. श्री चानियामुरीइल नारायणन रमेसन,
चानिया मुरीइल भवन
थिवारा, कोचीन,
केरल।

17 अगस्त 1977 को रेवरेन्ड फादर जोजफ सिमेंथा के पाल्लीपुरम में स्थानान्तर हो जाने पर थिवारा के कुछ लोग उनके साथ गए। उन्होंने एक नौका से यात्रा की। जब वे उसी दिन नौका से वापस आ रहे थे तो उनमें से श्री टी० सी० पीटर नामक एक यात्री संयोगवश चैनल में गिर गया और कुछ मिनट के लिये पानी में अदृश्य हो गया। अन्य यात्री एवं नाविक भयभीत तथा सन्न रह गए। इसी समय वह अप्रवाही गहरे जल में 5 मीटर दूर तक बह गया। श्री चानियामुरीइल नारायणन रमेसन जो आंशिक रूप से अपंग हैं ने अपने जान के खतरे की परवाह न करते हुए अप्रवाही जल में छलांग लगा दी और श्री पीटर को बचा लिया।

श्री चानियामुरीइल नारायणन रमेसन ने डूबते हुए श्री पीटर को बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

5. श्री चम्पाकल अप्पी सुकुमारन,
चम्पाकल वीडु,
पीरूमवाप्पू,
कोचीन,
केरल।

3 फरवरी, 1978 को 35 वर्षीय एक विदेशी महिला कोचीन के वेलिंगटन द्वीप से नौका में चढ़ने की कोशिश में एकाएक अप्रवाही जल में गिर गई। समुद्र की ओर तेज लहर उठ रही थी और नौका प्रोपैलर चल रहा था इसलिए उस महिला के लिए पानी से बाहर आना और नौका तक पहुंचना कठिन था। नौका के डेकमन श्री चम्पाकल अप्पी सुकुमारन ने इस महिला को देख लिया था और वह तुरन्त गहरे पानी में कूद गया तथा महिला को नौका के पास लाने में सफल हो गया। तब उस महिला को अन्य लोगों की सहायता से नौका में चढ़ा लिया गया।

श्री चम्पाकल अप्पी सुकुमारन ने अपनी जान के भारी खतरे की परवाह न करते हुए एक डूबती हुई महिला को बचा कर अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

6. कुमार करुवनथोड़ी वलायुधन जयप्रकाशन,
नयाट्टू कुन्नू देसम, डाकघर वेल्लिकुलंगरा,
मट्टाथुर ग्राम मुकन्दपुरम तालुक,
जिला त्रिचूर,
केरल।

29 जून 1978 को दोपहर के समय वेल्लिकुलंगरा जूनियर बेसिक स्कूल के कुछ छात्र अपने भोजन लाने के डिब्बे धोने के लिए पास के तालाब पर गए। डिब्बों को धोते हुए एक छात्र श्री साइमन फिसल कर तालाब में गिर गया और डूबने लगा। जबकि अन्य छात्र असहाय होकर दुर्घटना को देख रहे थे तो उसी स्कूल का तीसरी कक्षा का दस वर्षीय छात्र कुमार करुवनथोड़ी वलायुधन जयप्रकाशन तालाब में कूद पड़ा और बड़ी कठिनाई से साइमन को किनारे पर ले आया।

कुमार करुवनथोड़ी वेलायुधन जयप्रकाशन ने अपनी जान के भारी खतरे की परवाह न करते हुए एक सहपाठी को डूबने से बचाकर बड़ी तत्परता तथा साहस का परिचय दिया।

7. कुमार राम किशन,
आत्मज श्री रवि कोष्टी,
द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत मनमऊ,
तहसील व जिला होशंगाबाद,
मध्य प्रदेश।

12 मार्च 1977 को एक महिला मजदूर ने अपनी 6 महीने की लड़की को अच्छी तरह कपड़े में लपेट कर एक तरफ खड्डे के पास सुला दिया और स्वयं इटारसी के समीप निर्माणाधीन स्थान पर काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वह महिला श्रमिक अपने बच्चे को जहां उसने रखा था वहां न पाकर रोने लगी। बच्चे की तलाश की गयी तो उसे एक गहरे व तंग खड्डे के भीतर रोते हुए सुना गया। किसी व्यक्ति का उस तंग खड्डे में जाना संभव नहीं था। इस संकटमय परिस्थिति में राम किशन नाम का एक लड़का उस खड्डे में जाने के लिए तैयार हो गया। रस्सी के सहारे लड़का अपना सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड्डे में चला गया। उसने बच्चे को पकड़ लिया और फिर दोनों को रस्सी से खींच कर बाहर निकाल लिया गया।

कुमार राम किशन ने अपनी जान को भारी खतरे में डालकर एक तंग खड्डे में फंसे बच्चे को बचा कर साहस का परिचय दिया।

8. श्री तुलसी राम ठाकुर
सुपरवाइजर,
सागर सहकारी बैंक
सागर,
मध्य प्रदेश।

30 अगस्त, 1977 को श्री तुलसी राम ठाकुर जो छुट्टी पर अपने गांव महुवा खेड़ा गया था बाढ़ आई हुई बैवास नदी में यह देखने के लिए गया कि क्या बाढ़ का पानी घट गया है ताकि वह वापिस सागर अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाय। वहां पहुंच कर उसने देखा कि तीन आदमी सगरा गांव जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं। जबकि उनमें से दो ने तैर कर नदी पार कर ली परन्तु श्री निरंजन जो पीछे था पानी की तेज धार के बीच में फंस गया। वह गहरे पानी में डूबने लगा और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तथा अपनी जान के खतरे की परवाह किये बिना श्री तुलसी राम ठाकुर तुरन्त नदी में कूद गया और तेजी से निरंजन की ओर तैरता हुआ गया और उसे पकड़ लिया। वह लगभग 800 मीटर तक एक हाथ से तैरा और बड़ी कठिनाई से श्री निरंजन को किनारे पर ले आया। श्री निरंजन को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला। कुछ समय बाद उसे चेतना आई।

श्री तुलसी राम ठाकुर ने इस प्रकार ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए श्री निरंजन को डूबने से बचा कर बड़े साहस और तत्परता का परिचय दिया।

9. श्री अलीहुसैन मधुखां अनसारी,
एन० आई० सी० कालोनी,
मोहने तालुका कल्याण,
जिला थाना,
महाराष्ट्र।

27 अप्रैल 1977 को जब मोहाने स्थित नेशनल रेयन कम्पनी में कार्य हो रहा था एक क्लोरीन मशीन ने एकाएक काम करना बंद कर दिया और तीन आदमी टैंक की गैस में फंस गए। यद्यपि दो बच निकलने में सफल हुए किन्तु श्री भागोजी मारुती गायकवाड़ उसमें से बाहर नहीं आ सका। जब श्री अली हुसैन मधुखां अनसारी ने यह देखा तो वह तुरन्त क्लोरीन से भरी हुई गैस के टैंक में चला गया और श्री गायकवाड़ को कंधे से पकड़कर टैंक से बाहर ले आया। बाद में श्री गायकवाड़ को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेज दिया और उसकी जान बच गई।

श्री अलीहुसैन मधुखां अनसारी ने इस प्रकार जहरीली गैस के टैंक से श्री गायकवाड़ को निकाल कर उसके प्राण बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

10. श्री दिलवर गफार पटेल
औरवाड़ तालुक शिरोल
जिला कोल्हापुर
महाराष्ट्र ।

18 अगस्त, 1977 को सुबह लगभग 9 बजे कुमारी मालुताई तुकाराम पाटिल (7 वर्षीय) कृष्णा नदी पर स्नान के लिए चली गई। स्नान करते हुए वह फिसल कर गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। उसी समय श्री दिलवर गफार पटेल औरवाड से एक नौका में यात्रियों को नरसोबावाडी ले जा रहा था। जब उसकी नौका श्री दत्ता मंदिर के पास से जा रही थी तो उसने शोर सुना कि नरसोबा वाडी की तरफ से आ रहे पानी में एक लड़की गिर गई है। श्री पटेल तुरन्त कपड़े पहने पानी में कूद गया और लड़की के बाल पकड़ कर उसे खींच कर किनारे ले आया।

श्री दिलवर गफार पटेल ने इस प्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए डूबती हुई लड़की की जान बचा कर साहस और तत्परता का परिचय दिया।

11. श्री दाऊ बंगो जाधव,
वर्तक नगर, चौल के पीछे कुटीर,
पोखरान रोड नं० 1,
थाना,
महाराष्ट्र।

15 मार्च, 1978 को एक छात्र मास्टर राजरत्नम सिल्वराज (10 वर्षीय), खेलते हुए एक खुले कुएं में जा गिरा। श्री दाऊ बंगो जाधव जो काम पर जा रहा था, ने कुएं पर हलचल देखी तो वह अपने कपड़ों सहित कुएं में कूद गया और बच्चे का अचेत अवस्था में बचा लिया। प्रथम चिकित्सा सहायता देने पर बच्चे को चेतना आ गई और वह सांस लेने लग गया।

श्री दाऊ बंगो जाधव ने अपनी जान के खतर की परवाह न करते हुए डूबते हुए बच्चे को बचा कर साहस और तत्परता का परिचय दिया।

12. श्री कासम पापालाल मुलानी,
स्थान व डाकघर ताल मूरबाद,
जिला थाना,
महाराष्ट्र।

3 सितम्बर, 1977 का स्रोय की मरम्मत करने वाला मूरबाद का एक निवासी श्री मारुती कृष्ण चौहान, अपने काम के लिए सादनी गांव जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि शिवाली नदी में बाढ़ आई हुई है। शाम को लगभग 5 बजे तदाली से आने वाली एक राज्य परिवहन बस जो मूरबाद जा रही थी शिवाली नदी को पार कर गई। श्री चौहान ने सोचा कि वह भी नदी पार कर लेगा और नदी पार करने लगा। परन्तु जब वह नदी के बीच में पहुंचा तो वह बाढ़ के पानी के बहाव में बह गया और वह डूबने ही वाला था। यह देखकर राज्य परिवहन का ड्राईवर श्री कासम पापालाल मुलानी तुरन्त नदी में कूद गया और श्री चौहान को डूबने से बचा लिया।

श्री कासम पापालाल मुलानी ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए श्री चौहान को डूबने से बचाकर साहस और तत्परता का परिचय दिया।

13. कुमार शिवाजी अप्पा काम्बले,
मुरुव, तालुक अजारा,
जिला कोल्हापुर,
महाराष्ट्र।

4 अक्तूबर 1977 की प्रात: 18 वर्षीय कुमारी सुशीला अर्जुन बागवे नाले को पार करते हुए पानी की तेज धारा में लगभग एक फर्लांग तक वह गई। उसकी चीखें सुनकर कुछ लोग नाले के तट पर इकट्ठे हो गए किन्तु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस समय कुमार शिवाजी अप्पा काम्बले पानी में कूद पड़ा और लड़की को उसकी कमर से पकड़कर बाहर ले आया।

कुमार शिवाजी अप्पा काम्बले ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए कुमारी बागवे को डूबने से बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

14. श्री सोपान नाना भुजबल,
सुन्दरबाई चौल,
इगतपुरी, जिला नासिक,
महाराष्ट्र।

12 जून, 1978 को (14 वर्षीय) कुमारी मीनाबाई भास्कर बागलाने पानी खींचते हुए फिसल गई और कुएं में गिर गई। कुएं के नजदीक उपस्थित स्त्रियों ने सहायता के लिए शोर मचाया। श्री सोपान नाना भुजबल जो नजदीक से गुजर रहे थे यह सुन कर उस ओर दौड़े। उसने तुरन्त कुएं में छलांग लगा दी और लड़की को पानी से बाहर निकाल लाया। वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने कुएं में एक रस्सी लटकायी जिस की सहायता से वे दोनों कुएं से बाहर आए।

श्री सोपान नाना भुजबल ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए लड़की को डूबने से बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

15. कुमार सुरेश राजाराम सापकले,
मार्फत ए० सी० सी० राजाराम नामदेव कोली,
भुसावल,
महाराष्ट्र।

25 मई, 1977 को भुसावल में तेज तूफान के साथ वर्षा से शहर के नालों में बाढ़ आ गई। दुर्भाग्यवश 10 वर्षीय बालाजी शेरसिंह और 8 वर्षीय भगवान दास नाम के दो लड़के फिसल कर बाढ़ से भरे नाले में गिर पड़े। यह देखकर कुमार सुरेश राजाराम सापकले तुरन्त बाढ़ वाले नाले में कूद पड़ा और उन दोनों डूबते हुए बच्चों को सुरक्षित किनारे पर ले आया।

कुमार सुरेश राजाराम सापकले ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए दो लड़कों को डूबने से बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

16. श्री प्रिय शंकर,
पुत्र श्री अलगर स्वामी, प्रेमनगर
मणिपुर।

26 अप्रैल, 1978 को श्री जी० पी० गुप्त अचानक प्रेमनगर में एक गहरे कुएं में गिर गए। यद्यपि आसपास 400 के लगभग व्यक्ति खड़े थे परन्तु कुएं में जहरीली गैस होने के कारण कोई भी कुएं में कूदने का साहस नहीं कर सका। श्री प्रिय शंकर अचानक घटनास्थल पर आ गए और बिना हिचकिचाहट के कुएं में कूद पड़े। श्री शंकर ने श्री गुप्ता को, जो कुएं में गिरने के बाद बेहोश हो गये थे, बाद में कुएं में फैंके हुए रस्से से बांधा और यह कार्य करते हुए श्री शंकर भी जहरीली गैस सूंघने के कारण बेहोश हो गये। दोनों को रस्से की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया और दवा दारू के लिए मोरेह डिस्पेंसरी ले जाया गया। जहां पर कुछ घंटों के बाद वे पुन: होश में आ गये।

श्री प्रिय शंकर ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए श्री गुप्ता को बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

17. श्री भुवन प्रसाद उपाध्याय,
शिक्षक,
सिगर एम० पी० स्कूल,
डाकखाना मेबो वाया पासीघाट,
सियाग जिला,
अरुणाचल प्रदेश।

12 मार्च, 1978 को (10 वर्षीय) मास्टर गमकर ताशा अपने मित्रों के साथ सिगन नदी पर स्नान करने गया हुआ था। नहाते समय, मास्टर ताशा अपना संतुलन खो बैठा और भयानक तेज धारा की चपेट में फंस गया। कुछ ही क्षणों में बचाव के प्रयत्न में उसकी कांपती हुई हथेली तथा उंगलियों को दूसरे बच्चों ने देखा। इस पर बच्चों ने शोर मचाया जिसे सुनकर, रीमा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक श्री भुवन प्रसाद उपाध्याय नदी की ओर दौड़े और तुरन्त तेज जल प्रवाह में कूद पड़े। वे लड़के को किनारे पर लाने में सफल रहे। तब उन्होंने उसका प्राथमिक उपचार किया और लड़के के पेट से पानी निकालकर उसकी जान बचायी।

श्री भुवन प्रसाद उपाध्याय ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए लड़के को डूबने से बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

18. जे० सी० 61970 सूबेदार दुली चन्द,
9 जाट रेजीमेंट,
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

29/30 मई, 1977 की रात्रि को अपनी यूनिट के एक अग्रिम दस्ते के साथ सूबेदार दुली चन्द 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। जब गाड़ी बेकी नदी पर बने रेलवे पुल को पार कर रही थी तो पुल टूट गया और इंजन पहले 4 डिब्बों सहित नदी में गिर गया। सूबेदार दुली चन्द जो 9वीं बोगी में था झटका लगने से जागा और उसने महसूस किया कि कोई दुर्घटना हो गई है। उसने तत्काल कार्रवाई की तथा बचाव काय के लिए अपने जवानों को संगठित किया जिसके फलस्वरूप अनेकों जानें बच गयीं जो अन्यथा गहरे तथा तेज जल प्रवाह में खो जातीं।

सूबेदार दुली चन्द ने इस प्रकार साहस, पहलशक्ति, तत्परता और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

19. 3146630 हवलदार राम सरूप,
9 जाट रेजीमेंट,
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

हवलदार राम सरूप 29/30 मई, 1977 को अपनी यूनिट की अगुआ पार्टी के साथ 13 अप तेजपुर एक्सप्रैस से यात्रा कर रहे थे। जब गाड़ी बेकी नदी पर बने रेलवे पुल को पार कर रही थी तो पुल टूट गया और इंजिन पहली चार बोगियों सहित नदी में गिर गया। हवलदार रामसरूप तीव्र गति से बहती नदी में जहां पर इंजिन तथा चार बोगियां गिरी थीं कूद गये और उन्होंने जलमग्न तीसरी बोगी जो कि ऊपर से दिखाई दे रही थी, को जबरदस्ती खोला और कई लोगों की जान बचाई।

हवलदार राम सरूप ने इस प्रकार अपनी जान को खतरे में डालकर साहस, तत्परता तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

20. 13917748 सिपाही बलवान सिंह,
नर्सिंग असिस्टेंट,
ए० एम० सी०,
9 जाट रेजीमेंट,
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

30 मई, 1977 को जाट बटालियन के सिपाही बलवान सिंह, 13 अप तेजपुर एक्सप्रैस में यात्रा कर रहे थे। उदलगिरि रेलवे स्टेशन के समीप पुल टूट जाने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसका इंजिन तथा प्रथम चार बोगियां बेकी नदी में गर गई। यद्यपि उनके कम्पार्टमेंट पर इस दुर्घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था तथापि उसने देखा कि बहुत से अन्य यात्रियों को जिनमें सैनिक तथा नागरिक दोनों शामिल थे, चोटें आ गयीं थी और वे सहायता के लिए पुकार रहे थे। सिपाही बलवान सिंह बेकी नदी में कूद पड़ा और उसने जलमग्न बोगियों में से लोगों के निकलने में सहायता की। उसने घटनास्थल पर प्राथमिक सहायता का डिब्बा निकाला तथा घायलों को प्राथमिक सहायता दी और इस प्रकार कई जानों को बचाने में सफलता पाई।

सिपाही बलवान सिंह ने अपनी जान को खतरे में डालकर सूझबूझ, पहलशक्ति, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

21. 3163378 सिपाही रणजीत,
9 जाट रेजीमेंट,
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

30 मई, 1977 को जाट बटालियन के सिपाही रणजीत 13 अप तेजपुर एक्सप्रैस में यात्रा कर रहे थे। बेकी नदी का पुल टूट जाने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा उसका इंजिन और पहली चार बोगियां नदी में गिर गईं। उन्हें एक तीव्र झटका लगा और वह अपने कम्पार्टमेंट से बाहर आ गए। वह तीव्र गति से बहती हुई नदी में घुस गये और उन्होंने जलमग्न तीसरी बोगी को जोकि ऊपर से दिखाई दे रही थी खोला और इस प्रकार जान और माल की रक्षा की।

सिपाही रणजीत ने इस प्रकार अपनी जान को खतरे में डालकर साहस, तत्परता तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

22. 1050945 सवार भंवरु राम,
7 लाइट कैवलरी,
1 इन्डिपेन्डेन्ट आर्मड स्क्वैड्रन,
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

9 मार्च, 1978 को जब आर्मड कोर रेजीमेंट के सवार भंवरु राम अपनी मोटरगाड़ी पर कार्य कर रहे थे, तो अग्नि की चेतावनी घटी सुनी, वह शीघ्र घटनास्थल की ओर जहां पर भंयकर आग लगी थी, दौड़ पड़े। उस क्षेत्र में अधिकांश घर बांस तथा फूस के बने हुए थे। इसलिए आग बड़ी तेजी के साथ समीप के भवनों तथा झुग्गियों में फैल गई। उसने आग की चपेट में आई झुग्गी में से एक वृद्ध व्यक्ति की पुकार सुनी। वह तत्काल उस झुग्गी में घुस गया और सबमें से पीड़ित व्यक्ति को निकाल लाया।

सवार भंवरु राम ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए आग से जल रही झोंपड़ी में घिरे वृद्ध व्यक्ति को बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

23. 5444604 राइफलमैन डोर बहादुर राणा,
6/5 गोरखा राइफल्स,
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

2 जुलाई, 1978 को हीरा देवी नाम की एक लड़की (7 वर्ष) बच्चों के साथ खेलते हुए फिसलकर पानी के टैंक में गिर पड़ी। पास से गुजरते हुए राइफलमैन डोर बहादुर राणा ने लड़की की दयनीय पुकार सुनी और वह घटनास्थल की ओर भागा और कुशल-तैराक न होते हुए भी शीघ्र ही टैंक में कूद पड़ा। इस प्रकार उसने आत्मशक्ति के बल से उस लड़की की रक्षा की।

राइफलमैन डोर बहादुर राणा ने इस प्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए डूबती हुई लड़की को बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

24. श्री सुदर्शन सिंह बेदी (जी०/126324),
अधीक्षक बी० आर० (ग्रेड- II) ग्रैफ,
418 आर० एम० पी०, केयर 86 आर० सी० सी० (ग्रैफ),
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

25 श्री भोपाल सिंह (जी० /120935),
एम० टी० ड्राईवर, ग्रैफ,
574 (1) टी० पी० टी० प्लाटून (ग्रैफ)
मार्फत 99 ए० पी० ओ०

26. श्री राम बहादुर,
आकस्मिक कार्मिक मजदूर, ग्रैफ,
86 सड़क निर्माण कं० (ग्रैफ),
मार्फत 99 ए० पी० ओ०।

21 जून, 1977 को बी० आर० ग्रेड-2 अधीक्षक श्री सुदर्शन सिंह बेदी को एक संदेश प्राप्त हुआ कि ओ० ई० एम० पाकवेरी रामचन्द्रन कार्य स्थल पर बुलडोजर की सहायता से अवरुद्ध सड़क को साफ करने के लिए जाते हुए एक भू-संचलन क्षेत्र में फंस गए हैं।

एम० टी० चालक श्री भोपाल सिंह और दैनिक कार्मिक मजदूर श्री राम बहादुर को साथ लेकर श्री बेदी शीघ्र ही घटनास्थल की ओर खतरनाक रास्ते से नीचे भागे और ओ० ई० एम० रामचन्द्रन को कन्धों तक पत्थर और मिट्टी से दबा हुआ पाया। पत्थरों के लगातार गिरने के बावजूद वे ओ० ई० एम० रामचन्द्रन को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले आए। वास्तव में ज्यों ही उसे गाड़ी में बिठा कर उपचार के लिए अस्पताल में ले जाने लगे, उसी क्षण एक भारी भू-संचलन उस स्थान पर आ गिरा जहां पर गाड़ी खड़ी की गई थी।

सर्वश्री सुदर्शनसिंह बेदी भोपाल सिंह और राम बहादुर ने अपनी जान को खतरे में डालकर ओ० ई० एम० रामचन्द्रन को भू-संचलन क्षेत्र से निकालने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

27. श्री तुम्मला श्रीरामचन्द्र राव,
सर्किल पेट, मच्छलीपट्टम-521001,
आन्ध्र प्रदेश।

19 सितम्बर, 1977 को श्री पी० नागप्पा ने नवापल्लम के शाखा डाक-घर का निरीक्षण किया। अर्दली श्री टी० एस० रामचन्द्र उनके साथ था। शाम के समय तूफानी हवाएं अचानक तेज हो गयीं। शाखा डाक-घर के ई० डी० एम० ए०/डी० ए० श्री जी० सोलोमन और सर्वश्री नागप्पा और राव को एक स्थानीय स्कूल भवन में शरण लेनी पड़ी। उसके थोड़ी देर बाद वह स्थान चारों तरफ से ज्वार भाट की लहरों से घिर गया, और लहरों का पानी स्कूल भवन में भी घुस गया। पानी स्कूल भवन में जल्दी ही कमर की गहराई तक पहुंच गया। श्री राव ने अपना कम्बल तूफानी पानी में भिगोया, इसे लपेट कर छत पर लगी कड़ी पर फैंका और भीगी हुई कम्बल को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करते हुए ऊपर पहुंच गया। उस समय तक पानी स्कूल के कमरों में गले तक आ गया था और उसने सोलोमन को जो कि छोटे कद के व्यक्ति हैं, ऊपर खींच लिया।

श्री राव ने फिर देखा कि एक औरत अपनी लड़की (22 साल) और दो छोटे बच्चों सहित (6 साल और 1 साल) स्कूल के कमरे में रह गयी और मदद के लिए चिल्ला रही है। वह कड़ी पर लिपटे कम्बल की सहायता से नीचे उतरा और जैसे ही उसने बच्चों को ऊपर उठाने की कोशिश की, वह पानी में गिर गया क्योंकि कम्बल की लम्बाई कम थी। इसी समय उस औरत ने उसे अपनी साड़ी दी, जो वह पहने हुई थी। श्री राव ने तब उस साड़ी को लटकते कम्बल के किनारे से बांध दिया और बच्चों को उठा लिया, जिन्हें सोलोमन ने जो कि कड़ी पर खड़ा था, ऊपर खींच लिया। श्री राव ने उस औरत और लड़की को भी खिड़की पर सुरक्षित रखने में मदद की। सर्वश्री सोलोमन और राव ने बच्चों को अत्यधिक कष्ट में रहते हुए कंपकपाती सर्दी में सुबह होने तक थामें रखा।

श्री तुम्मला श्री रामचन्द्र राव ने श्री सोलोमन और दो अन्य की जान बचाने में साहस और मुस्तैदी का परिचय दिया।

प्रेम राज गुप्त, राष्ट्रपति के उप-सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 1979

सं० 12/1/79-के० से०-II—कर्मचारी चयन आयोग (गृह मंत्रालय) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1979 के दौरान प्रत्येक दो महीने में एक बार महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा और कर्मचारी चयन आयोग को इस की सूचना आयोग द्वारा परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने से पहले दे दी जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या लगभग 50 होगी। भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/जन जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है:—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान अनुसूचित जन जाति संघराज्य क्षेत्र में आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962 संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) 1967, अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। प्रवेश के प्रयोजन के लिए उन्हें अपने आवेदन-पत्र परिशिष्ट-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन पत्रों को सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा समुचित संवीक्षा के बाद परीक्षा लिए जाने वाले महीने के पूर्ववर्ती महीने की अधिक से अधिक 1 तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थायी या अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक/उच्चश्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा ।

(1) सेवा की अवधि:—उसने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1979 को कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा कर ली हो ।

टिप्पणी (1) यदि किसी उम्मीदवार की गिनने योग्य कुल सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में हो तो दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा लागू होगी ।

टिप्पणी (2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निसंवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो ।

टिप्पणी (3) अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आबंटन हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी या उच्च ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो ।

(2) आयु :—उसको 1 जनवरी, 1979 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी 1929 से पहले नहीं होना चाहिए ।

5. ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी:—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष;

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौतों के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(6) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया मलावी तथा इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(7) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ;

(9) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से नियुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ;

(10) किसी दूसरे देश में संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ;

(11) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक ; और

(12) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उनके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों ।

(13) यदि उम्मीदवार वियतनाम से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और जुलाई 1975 से पहले भारत में प्रवासित हुआ न हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

6. परीक्षा म असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो ।

8. सामान्य उम्मीदवारों को रु० 8.00 (केवल रु० 8.00) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रु० 2.00 (केवल रु० 2.00) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा देनी होगी ।

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा ।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि उसने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया है अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा भवन में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है ; अथवा

(9) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे——

(क) आयोग द्वारा उसे परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन परीक्षा के लिए, तथा

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11—परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों का, जितनों को आयोग द्वारा उत्तीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'घ', के पदों में परीक्षा के परीणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा के लिए परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड 'घ' में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णता सक्षम है। अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर, ग्रेड 'घ' आशुलिपिक पद, नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

12—अलग अलग उम्मीदवारों के परीक्षा परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उनके साथ परीक्षा फल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13—परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात अथवा उसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है। अथवा उसके साथ विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है। अथवा जो उम्मीदवार, 'स्थानान्तरण' पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्व ग्रहणाधिकार नहीं होता है इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रति नियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

के० बी० नायर,
अवर सचिव

परिशिष्ट-1

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमश. 75 मिनट लिप्यन्तर करना होगा। आशुलिपि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी:—जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी।

2—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर, 1978

संकल्प

विषय:—औद्योगिक सहकारिता की स्थाई समिति का गठन।

सं० (632)/78-आई० सी० सी०—भारत सरकार ने निम्नलिखित सदस्य को शामिल करके औद्योगिक सहकारिता की स्थाई समिति की सदस्यता बढ़ाने का अग्रेतर निश्चय किया है:—

श्री वयालार रवि,
संसद सदस्य,
लोक सभा,
नई दिल्ली

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसे सभी संबंधितों को भेजा जाये।

एस० जे० कोयलो,
संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1979

संकल्प

सं० 33012/2/78—अर्थ नीति उत्पादन लागत के अनुमानों की विधियों पद्धतियों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की समीक्षा करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। अब उपर्युक्त समस्या की जांच करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक विशेष विशेषज्ञ समिति की गठन करने का निर्णय किया गया है।

विशेष विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :

1. डा० एस० आर० सेन — अध्यक्ष
भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक,
अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण तथा विकास बैंक,
वाशिंगटन डी०सी०

2. डा० सी० एच० हनुमन्त राव, सदस्य
निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

3. डा० दरोगा सिंह, सदस्य
निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी
अनुसंधान संस्थान, लाइब्रेरी एवेन्यू,
पूसा, नई दिल्ली

डा० एस० पी० पंत, अर्थशास्त्री, अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय इस समिति के सचिव होंगे।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

(1) विभिन्न फसलों की खेती। उत्पादन की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अंतर्गत उत्पादन लागत के अनुमानों को तैयार करने के बारे में अपनाए जाने वाले डिजाईनों, मूल तत्वों तथा पद्धति की जांच करना ;

(2) फील्ड स्तर पर आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्था की जांच करना और केन्द्रीय स्तर पर उत्पादन लागत के अनुमानों को तैयार करने के लिए इसकी छानबीन तथा परिसंस्करण करना ;

(3) विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत के अनुमानों की उपलब्धि में होने वाले विलम्ब को कम करने के विषय में सुझाव देना

(4) उत्पादन लागत के अध्ययनों का फसलों/किस्मों तथा राज्यों के रूप में विस्तार करने के प्रश्न की जांच करना ;

(5) उत्पादन की लागत के अध्ययन के लिए एकत्र किए गए उपलब्ध आकड़ों के आधार पर आदान मूल्यों के सदृश्य एक श्रृंखला हिसाब लगाने की विधियों के विषय में सुझाव देना तथा सिफारिशें करना।

4. समिति अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि में पेश करेगी।

5. समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें हुआ करेंगी।

6. कृषि विभाग (अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय) समिति को स्टाफ संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

7. समिति के कार्य के संबंध में दिल्ली से बाहर के दौरों (यदि कोई हो) आदि के लिए समिति के गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता। महंगाई भत्ता भारत सरकार के कृषि विभाग (अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, विशेष विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों, डा० एस० पी० पंत अर्थशास्त्री, अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सभी संलग्न तथा आधीनस्थ कार्यालयों कृषि विभाग व अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय के सभी अधिकारियों महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सचिव (कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग) अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव (कृषि मूल्य आयोग) निदेशक (जन सम्पर्क) को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

जी० वी० के० राव,
सचिव

ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1979

संकल्प

सं० 50/21/77-प्रशा०एक—विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र में हुई वृद्धि के संदर्भ में देश में उच्च वाष्प पैरामीटरों पर प्रचालित होने वाले वृहत्तर यूनिट साइजों के अनेक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन ताप विद्युत संयंत्रों पर भारी पूंजी का निवेश होता है तथा इनमें अत्यधिक परिष्कृत उपस्कर होते हैं। इन उपस्करों का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिक प्राप्त करने की दृष्टि से इन आधुनिक विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था। इन संस्थानों में सबसे पहला संस्थान वर्ष 1965 में नवेली में स्थापित किया गया था और तदनन्तर दुर्गापुर, दिल्ली और नागपुर में तीन और संस्थान क्रमशः 1968, 1974 और 1975 में स्थापित किए गए थे।

2. विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार होने तथा इसमें वृद्धि होने के परिणामस्वरूप देश में पारेषण तार-जाल में भारी वृद्धि हुई है। अतः पारेषण शाखा में प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से वर्ष 1971 में बंगलौर में एक विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था (प्रारंभ में इसे भारत प्रेषण प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता था)। बाद में हाटस्टिक पद्धति तथा बेयरहेण्ड तकनीक दोनों का उपयोग करते हुए हाट-लाइन अनुरक्षण तकनीक में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 1975 में बंगलौर में हाटलाइन प्रशिक्षण केन्द्र नामक एक और प्रशिक्षण यूनिट स्थापित की गई थी।

3. अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि प्रशिक्षण की बदली हुई आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रतिष्ठापनाओं का वर्तमान ढांचा पर्याप्त नहीं है। प्रचालन संबंधी गतिविधि में परिवर्तन की सुविधा किसी भी प्रशिक्षण संस्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक है और विभागीय ढांचा इसमें बाधक होता है। संस्थान के संकायों में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों की आवश्यकता की पूर्ति तथा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए बाहरी विशेषज्ञता और अन्य निवेश की प्राप्ति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की प्रबंध व्यवस्था में सरलता से सुलभ नहीं होती।

4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन संस्थानों की एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया जाए। विभिन्न यूटिलिटिज के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करके तथा अपने निजी कार्यक्रमों के जरिए इनको अनुपूर्ति करके पूरे देश के विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सोसाइटी एक शिखर राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह सोसाइटी एक शासी परिषद के माध्यम से कार्य करेगी और इस परिषद में व्यापक आधार पर प्रतिनिधिगण होंगे। संबंधित क्षेत्रों और विधाओं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से व्यक्ति इनमें शामिल होंगे।

5. वर्तमान संस्थानों का वास्तविक हस्तान्तरण प्रत्येक मामले में आदेश जारी किए जाने के उपरान्त होगा।

6. इस सोसाइटी के तथा शासी परिषद् के अध्यक्ष विद्युत विभाग के सचिव होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

पी० एस० बेलिअप्पा,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th March 1979

No. 9-Pres./79.—The President is pleased to approve the award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Shri Ramjibhai Bhikhabhai Gohel,
Rameshwar Bhavan, Mahila Kot,
Mitha Sheri, Veraval,
District Junagadh,
Gujarat.

On the 19th August, 1977 a small steamer 'Gulma' developed some engine trouble and dropped anchor of Veraval (District Jungadh). Her Chief Officer, Chief Engineer and a Khalasi lowered a life-boat and proceeded for Veraval shore. But due to a storm the boat soon capsized and all the three persons were thrown off into the sea. Shri Ramjibhai Bhikhabhai Gohel, a young sailor and fisherman of Veraval noticed this accident. He immediately jumped into the sea from break water wall, without caring for his personal safety, and safely brought two of them to them to the shore. He again went to rescue the third person swimming against the 5 to 6 metres high waves but the could not succeed at the first attempt and was thrown back. However, he did not give in and after regaining breath, brought out the third man also.

Shri Ramjibhai Bhikhabhai Gohel thus displayed conspicious courage and promptitude in saving three human lives from drowning in the stormy sea, under circumstances spelling very great danger to his own life.

2. Shrimati Ambrammal Malu,
Kunnamangalam Amsom and Desom,
P.O. Kunnamangalam,
Kozhikode District,
Kerala.

On the 27th October, 1977 Shrimati Ambrammal Malu was returning home from work along the bank of Poonoor Puzha in Kunnamangalam village when she heard the frantic cry of a girl who was about to be drowned in the river having about 6 metres deep water. Shrimati Malu, in utter disregard of the risk to her own life, immediately jumped into the river and somehow brought the girl to the bank. The girl was saved but by his time Shrimati Malu got completely exhausted and could not save her own life and was drowned in the river.

Shrimati Ambrammal Malu thus exhibited conspicuous courage, a high sense of public duty and promptitude in saving a human life from drowning at the cost of her own life.

K. R. GUPTA,
Dy. Secy. to the President.

New Delhi, the 15th March 1979

No. 10-Pres./79.—The President is pleased to approve the award of UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Shri Shaikhlal Shaikh Hasan,
Dokar Gali, Nandgaon,
Taluka Nandgaon,
District Nasik,
Maharashtra.

On the 21st July, 1977 at about 1700 hours Shri Shaikhlal Shaikh Hasan, Driver, while plying his Nandgaon-Chalisgaon State Transport bus found that river Manyad was flooded and several vehicles were stranded along with about 700 passengers on both sides of the river as the only crossing bridge was completely submerged under water. Shri Hasan had to stop the bus there and join others waiting for the flood water to recede. After some time, the flood water began to recede, and one person was able to cross the river with his bullock-cart safely. Following suit an other person also started crossing the river on his bullock-cart with 7 other persons in it. When they reached the middle of the bridge there came a fresh wave of flood which threw the cart with its occupants into the river. A great hue and cry for help was raised by the drowning people. While two persons swam out safely, the rest of the party was being swept away in the river. Seeing this, Shri Hasan immediately removed his uniform and jumped into the river. He first caught hold of a lady who, out of panic and fear, clung to him and both of them started drowning. But Shri Hasan succeded in getting the lady on his back and brought her to the river bank. Again he jumped into the river and safely brought out a girl who had been swept away long down. In this manner, he rescued three other ladies also. In the meantime one person was drowned and could not be saved.

Shri Shaikhlal Shaikh Hasan displayed a high sense of public duty, presence of mind and conspicuous courage to save the lives of four women and a child, under circumstances spelling great danger to his own life.

2. Shri Vellaswamy Periaswamy,
Mazdoor,
Department of Lighthouses and Lightships,
Andaman and Nicobar Islands
Port Blair,
Andaman and Nicobar.

On the 3rd December, 1977, on account of engine failure of their boat 12 departmental workers who were returning from their work in North Bay, Port Blair were caught in the rough sea. The night was dark with practically no visibility and the place where the boat was stranded was surrounded by rocks. In the midst of this ordeal one of the workers, Shri Vellaswamy Periaswamy jumped into the roaring sea and swam a distance of 366 metres to the rocky shore without caring for his personal safety and thereafter ran 6.4 kilometres and informed the Director of Lighthouses, Port Blair, about the stranded boat. The Director, in turn, with the help of fishing dinghi and Master of "M. V. Teressa", brought the strainded people back to the shore in the early hours of the next day.

Shri Vellaswamy Periaswamy displayed conspicuous courage, intelligence and presence of mind, under circumstances spelling great danger to his own life.

3. Shri Ghisu Lal Bhandari,
43, Housing Society (Top Floor),
N.D.S.E., Part I,
New Delhi.

On the 10th October, 1978 some cooking gas cylinders, while being unloaded from a truck, caught fire and burst in Bapu Park, Kotla Mubarakpur, New Delhi. The truck and some adjoining jhuggies got completely destroyed by the fire. Even some pucca houses were damaged owing to the explosion of gas cyclinders. On hearing the sound of the brusting cylinders, Shri Ghisu Lal Bhandari, who was living nearby, immediately rushed to the spot. On reaching there he came to know that a woman, who had given birth to a child about a week earlier, had been trapped in the fire in a hut with her baby. Shri Bhandari at once rushed into the hut, picked up the baby and took her out to a safe place. In this process he sustained some bruises on his legs but without bothering about them, he entered the hut again to rescue the ailing woman. While carrying her through the dense smoke he got injuries in the head. However, he safely took out the woman also.

Shri Ghisu Lal Bhandari thus displayed great courage and promptitude in rescuing two lives at considerable risk to his own life.

4. Shri Krishna Kumar Mishra,
34/270, Pal Beesla,
Ajmer,
Rajasthan.

On the 1st August, 1978, at 6.00 a.m. a boy of 10 years who was carrying one year old baby in his arms, slipped and fell down between the platfrom and the moving train, while attempting to board 31 UP Janta Express. Shri Krishna Kumar Mishra, Ticket Collector who saw this, immediately rushed to the rescue of these two children, unmindful of the grave danger to his own life. He stretched himself on the platform and was able to put his arms across the children and kept them pressed against the platform until the train came to a halt after eight coaches had passed the children. During this process, Shri Mishra sustained some injuries but he saved the children.

Shri Krishna Kumar Mishra displayed a high sense of public duty, presence of mind and conspicuous courage in saving the lives of two children under circumstances of great risk to his own life.

K. R. GUPTA,
Dy. Secy. to the President.

New Delhi, the 15th March 1979

No. 11-Pres./79.—The President is pleased to approve the award of JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Master Arayangal Mohammed,
Perumanna, P.O. Edavanna,
District Malappuram,
Kerala.

On the 27th April, 1978, Smt. Asmabi went to river Chaliyar with her 2½ year old niece. On reaching there, Shrimati Asmabi started washing her clothes and left the child alone on the river bank. The child slipped into the river and went down without any noise. Shrimati Asmabi being absorbed in washing did not notice the mishap. Unable to cry for help, the child was struggling for breath alternatively coming out to the surface and going down. 13 years old Master Arayangal Mohammed who was fishing nearby, saw the child drowning. Without caring for the grave risk to his own life he immediately leaped into the river, lifted the child out of the water and brought her safely ashore.

Master Arayangal Mohammed displayed courage and promptitude under circumstances of great danger to his life in saving the child from drowning.

2. Shri Kashinath Vishnu Gore,
Building No. 22, Room No. 894,
D. N. Nagar, Andheri (West),
Bombay,
Maharashtra.

On the 12th May, 1978, Shri J. L. Bhan, Senior Deputy Director (TPT) went in a launch from the Gateway of India at Bombay to a ship anchored 7-8 kilometres away from the shore. On reaching the ship, Shri Bhan climbed up the roof of the launch in order to reach the gangway of the ship and caught hold of the gangway. In the meanwhile the launch started drifting away from the ship owing to the violent sea and Shri Bhan, who was left hanging from side of the gangway, soon fell into the sea. Shri Kashinath Vishnu Gore, M.T. Driver, who was accompanying him, immediately jumped into the sea and caught hold of Shri Bhan. The people of the launch then threw ropes towards them but they could not catch hold of them as the launch had drifted farther away. Shri Gore struggled for about 15 to 20 minutes in the rough sea holding Shri Bhan, who was a non-swimmer, and managed to keep both afloat. In the meantime, the launch steadily came nearer and threw life bouys. They caught hold of the life bouys and were saved.

Shri Kashinath Vishnu Gore displayed a high sense of public duty, presence of mind and conspicuous courage in saving the life of Shri Bhan under circumstances of grave risk to his own life.

3. Shri Mantappa Shivalingu,
Bandya Unit, Door No. 2622, II Cross,
Gandhinagar, Mandya,
Karnataka.

On the 28th September, 1977 at about 10 A.M., Shrimati Mahadevamma (22 years), a resident of Hosahalli in Mandya Town, fell into a well while drawing water. Some peole near the well cried for help to rescue the lady. Shri Mantappa Shivalingu, who was returning home after completing his night duty, rushed to the spot on hearing the cries. Finding that no one from the on lookers was prepared to rescue the women, he immediately jumped into the well with the rope used for drawing water. After fastening the rope around the woman he asked the people at the top to pull her out. He himself got out with the help of another rope and found the woman in an unconscious state gasping for breath. He immediately rendered first aid to clear the air passage and then gave artificial respiration before she was taken to the hospital in semi-conscious state for further treatment.

Shri Mantappa Shivalingu displayed great promptitude and courage in rescuing the women from drowning disregarding the risk involved to his own life.

4. Shri Chaniyamuriyil Narayanan Remesan,
Chaniyamuriyil House,
Thevara, Cochin,
Kerala.

On the 17th August, 1977 some people of Thevara accompanied Rev. Fr. Joseph Symenthy on his transfer to Pallippuram. They had travelled in a boat. While they were returning in the boat on the same day, Shri T. C. Peter, one of the passengers accidentally fell into the channel and disappeared in the water for a while. The other passengers and boat crew stood aghast and petrified. In the mean time he was washed down about 5 metres in the deep backwaters. All of a sudden Shri Chaniyamuriyil Narayanan Remesan, a partly disabled person, jumped into the backwaters in disregard of the risk to his own life and managed to rescue Shri Peter.

Shri Chaniyamuriyil Narayanan Remesan displayed conspicuous courage and promptitude in rescuing Shri Peter from drowning.

5. Shri Champackal Appir Sukumaran,
Champackal Veedu, Perumpadapu,
Cochin,
Kerala.

On the 3rd February, 1978, a foreign lady aged about 35 years, while trying to get into a boat at Wellington Island, Cochin, accidently fell into the backwaters. There was a strong current towards the sea and as the propeller of the boat was working, it was very difficult for the lady to come out of the water and reach the boat. Shri Champackal Appi Sukumaran, a Deckman of the boat, on noticing the incident, immediately jumped into the water and managed to bring her up to the side of the boat. She was then with the help of other passengers lifted into the boat.

Shri Champackal Appi Sukumaran displayed conspicuous courage and promptitude in rescuing the lady from drowning in utter disregard of his own safety.

6. Master Karuvanthodi Velayudhan Jayaprakasan,
Nayattukundu Desom, P.O. Vellikulangara,
Mattathur Village, Mukundapuram Taluk,
Trichur District,
Kerala.

On the 29th June, 1978 at noon, some students of Junior Basic School, Vallikulangara, went to a nearby pond to wash

their lunch boxes. While doing so, one of the students, Simon, slipped into the pond and started drowning. While other students watched the accident helplessly Master Karuvanthodi Velayudhan Jayaprakasan (10 years), a student of III Standard in the same school, jumped into the pond and brought Simon to the bank with great difficulty.

Master Karuvanthodi Velayudhan Jayaprakasan displayed great promptitude and courage in rescuing a fellow student from drowning at great risk to his own life.

7. Master Ram Kishan,
S/o Shri Rabi Kosti,
C/o Sarpanch, Gram Panchayat Manamau,
Tehsil & District Hoshangabad,
Madhya Pradesh.

On the 12th March, 1977, one woman labourer started her work on the construction site near Itarsi after leaving aside her 6 month old daughter wrapped in clothes near one of the holes. After sometime, the woman labourer started weeping when she did not find her child at the place where she had left her earlier. A search was made and the child was found crying inside the deep and narrow hole. It was not possible for any man to get down that hole. At this critical juncture a small boy named Ram Kishan, volunteered himself for the rescue operation. After tying his legs with a rope, the boy was lowered inside the hole with his head downwards. He caught hold of the child and thereafter both of them were pulled out.

Master Ram Kishan displayed courage in rescuing the child trapped in a narrow hole at a great risk to his own life.

8. Shri Tulsi Ram Thakur,
Supervisor,
The Sagar Co-operative Bank,
Sagar,
Madhya Pradesh.

On the 30th August, 1977, Shri Tulsi Ram Thakur who had gone to his village Mahuakhera on leave to see river Bewas which was flooded to find out whether water had receded so that he could return to Sagar to resume his duty. On reaching there he noticed that three persons were crossing the river for going to village Sajra. While two of them were able to cross the river by swimming, Shri Niranjan who was the last, was caught in the swift current of the river. He cried for help as he was drifting towards deep water. Unmindful of the grave risk to his own life, Shri Tulsi Ram immediately jumped into the river, swam briskly towards Shri Niranjan and caught hold of him. He then swam with one hand for a distance of about 800 metres and managed with great difficulty to bring Shri Niranjan to the bank. Shri Niranjan was taken out of the water in an unconscious state. He regained his senses after some time.

Shri Tulsi Ram Thakur thus displayed great courage and promptitude in saving the life of Shri Niranjan from drowning at the risk to his own life.

9. Shri Allihusen Madhukhan Ansari,
N.R.C. Colony, Mohane, Taluka Kalyan,
District Thane
Maharashtra.

On the 27th April, 1977, while work was in progress in the National Rayon Company at Mohane, a chlorine machine accidently stopped operating and three persons got trapped in the gas tank. While two of them were able to escape, one Shri Bhagoji Maruti Gaikwad could not come out of it. When Shri Allihusen Madhukhan Ansari saw this, he immediately got down into the tank full of chlorine gas, caught Shri Gaikwad by his shoulder and brought him out of the tank. Shri Gaikwad was then sent to the hospital for medical treatment where his life was saved.

Shri Allihusen Madhukhan Ansari thus displayed courage and promptitude in saving the life of Shri Gaikwad who was entrapped in the poisonous gas tank.

10. Shri Dilwar Gafar Patel,
Aurwad, Taluka Shirol,
District Kolhapur,
Maharashtra.

On the 18th August, 1977 at about 9 A.M., Kumari Malutai Tukaram Patil (7 years) had gone to river Krishna for bathing. While taking bath, she slipped into deep water and was about to be drowned. At that time Shri Dilwar Gafar Patel was taking passengers in a boat from Aurwad to Narsobawadi. When the boat was passing near Shri Datta Temple, he heard the commotion that a girl had fallen into water from Narsobawadi side. Shri Patel immediately jumped into the water fully dressed and brought out the drowning girl by holding her hair.

Shri Dilwar Gafar Patel thus displayed courage and promptitude in rescuing the girl from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

11. Shri Dhau Bango Jadhav,
Vartak Nagar, Hutments Behind Chawl,
Pokharan Road No. 1,
Thane,
Maharashtra.

On the 15th March, 1978 a school boy named Master Rajratnam Silvaraj (10 years) while playing slipped into an open well. Shri Dhau Bango Jadhav, who was on his way to work, seeing the commotion at the well, jumped into it with his clothes on and rescued the boy in an unconscious state. On rendering first-aid the boy regained consciousness.

Shri Dhau Bango Jadhav thus displayed courage and promptitude in rescuing a boy from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

12. Shri Kasam Papalal Mulani,
At & Post Tal. Murbad,
District Thane,
Maharashtra.

On the 3rd September, 1977, one Shri Maruti Krishna Chavan, a stove repairer of Murbad, was going for business purposes to village Tadali. On the way he found the river Shivale in spate. At about 5 P.M. a State Transport bus coming from Tadali passed through the flooded river to Murbad. Shri Chavan thought that he could also cross the river and began to do so. But when he reached the middle of the river, he was carried away by the force of the flood water and was about to be drowned. On seeing this, a State Transport Driver, Shri Kasam Papalal Mulani immediately jumped into the river and rescued Shri Chavan from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

13. Kumar Shivaji Appa Kamble,
At Burude, Taluka Ajara,
District Kolhapur,
Maharashtra.

On the morning of 4th October, 1977, Kumari Sushila Arjun Bagawe, aged 18 years while crossing a rivulet on the way back from her fields was carried away by swift current for a distance of about a furlong. On hearing her cries, some people gathered on the bank of the rivulet but none came forward to help her. At that time Kumar Shivaji Appa Kamble jumped into the water, caught the girl by her waist and brought her out.

Kumar Shivaji Appa Kamle thus displayed courage and promptitude in rescuing Kumari Bagawe from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

14. Shri Sopan Nana Bhujbal,
Sundorabai Chawl, Igatpuri,
District Nasik,
Maharashtra.

On the 12th June, 1978, Kumari Minabai Bhaskar Baglane (14 years), while drawing water slipped and fell into the

well. The ladies present near the well shouted for help. On hearing this, Shri Sopan Nana Bhujbal who was passing nearby, rushed to the spot. He immediately jumped into the well with his clothes on and brought the girl out of water. The assembled persons dropped a rope into the well and with the help of which both of them came out.

Shri Sopan Nana Bhujbal displayed courage and promptitude in rescuing the girl from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

15. Kumar Suresh Rajaram Sapkale,
C/o A.P.C. Rajaram Namdeo Koli,
Bhusawal,
Maharashtra.

On the 25th May, 1977 a severe cyclone accompanied by rains hit Bhusawal and the nallah of that city got overflooded. Unfortunately, two boys named Balaji Sher Singh (10 years) and Bhagwan Sher Singh (8 years) slipped and fell into the swollen nallah. On seeing this, Kumar Suresh Rajaram Sapkale immediately jumped into the swelling water, caught hold of the drowning boys and brought them safely to the bank.

Kumar Suresh Rajaram Sapkale thus displayed courage and promptitude in rescuing two boys from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

16. Shri Priya Sanker,
S/o Shri Algar Swami,
Premnagar,
Manipur.

On the 26th April, 1978 one Shri G. P. Gupta accidentally fell into a deep well at Premnagar. Although about 400 persons were standing nearby, no one dared to jump into the well owing to the presence of poisonous gas in the well. Shri Priya Sanker suddenly appeared on the scene and without any hesitation jumped into the well. Shri Sanker tied Shri Gupta who had become unconscious after his fall into the well with a rope subsequently thrown into the well during this operation Shri Sanker himself became uncouscious by inhailing the poisonous gas. Both of them were pulled out of the well with the help of a rope and were taken to Moreh Dispensary for medical treatment where they regained consciousness after a few hours.

Shri Priya Sanker thus displayed courage and promptitude in rescuing Shri Gupta, disregarding the risk involved to his own life.

17. Shri Bhuban Prasad Upadhyay,
Teacher, Sigar L.P. School,
P.O. Mebo (Via) Pasighat,
Siang District,
Arunachal Pradesh.

On the 12th March, 1978, Master Gumkar Tada (10 years) accompanied by his friends, had gone to the river Singen to take a bath. While taking bath, Master Tada lost his balance and was caught in swift current and within a few seconds only his quavering palm and fingers struggling for survival could be seen by other children. At this the children raised a hue and cry, hearing which Shri Bhauban Prasad Upadhyay, a teacher of Rina Primary School, rushed to the river and immediately plunged into the strong current. He succeeded in bringing the boy to the shore. He then rendered first aid to him and managed to take out water from the stomach of the boy and thus saved his life.

Shri Bhuban Prasad Upadhyay displayed courage and promptitude in rescuing the boy from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

18. JC 61970 Subedar Duli Chand,
Jat Regiment,
C/o 99 APO.

Subedar Duli Chand was travelling by 13 UP Tezpur Express on the night of 29/30th May, 1977 along with an advance party of his unit. While the train was crossing a railway bridge over river Beki, the bridge collapsed and the engine along with the first four bogies plunged into the river. Subedar Duli Chand who was in the ninth bogie woke up with a start and realised that some accident had taken place. He immediately swung into action and organised his men for rescue operations which resulted in saving many lives which would otherwise have been lost in the deep and fast flowing current.

Subedar Duli Chand thus displayed courage, initiative, promptitude and leadership of a high order.

19. 3146630 Havildar Ram Sarup,
9 Jat Regiment,
C/o 99 APO.

Havildar Ram Sarup was travelling by 13 UP Tezpur Express on the night of 29/30th May, 1977 along with an advance party of his unit. While the train was crossing a railway bridge over river Beki, the bridge collapsed and the engine along with the first four bogies plunged into the river. Havildar Ram Sarup entered the fast flowing stream in which the engine and the first four bogies had fallen, broke open the compartments of the third submerged bogie which was visible from top and rescued several lives.

Havildar Ram Sarup thus displayed courage, promptitude and devotion to duty of a very high order at great personal risk.

20. 13917748 Sepoy Balwan Singh,
Nursing Assistant, AMC,
9 Jat Regiment,
C/o 99 APO.

On the 30th May, 1977, Sepoy Balwan Singh of Jat Regiment was travelling by 13 UP Tezpur Express. The train met with an accident due to the collapse of a bridge near Udalgiri Railway Station and its engine along with the first four bogies fell into the Beki river. Though his compartment was not affected by the accident, he saw that a large number of travellers both military and civilians had sustained injuries and were crying for help. He jumped into the stream and helped many people to come out of the submerged bogies. He then took out the first aid box and started giving first aid to the injured on the spot and thus succeeded in saving several lives.

Sepoy Balwan Singh displayed presence of mind, initiative, courage and devotion to duty of a very high order.

21. 3163378 Sepoy Ranjit,
9 Jat Regiment,
C/o 99 APO.

On the 30th May, 1977, Sepoy Ranjit of Jat Regiment was travelling by 13 UP Tezpur Express. The train met with an accident due to the collapse of a bridge over Beki river and its engine along with the first four bogies fell into the river. He received a severe jolt and rushed out of his compartment. He entered the fast flowing stream, broke open the compartments of the third submerged bogie which was visible from top and rescued human lives and property.

Sepoy Ranjit thus displayed courage, promptitude, and devotion to duty of a very high order.

22. 1050945 Sowar Bhanwaroo Ram,
7 Lt Cavalry,
1 Independent Armoured Squadron,
C/o 99 APO.

On the 9th March, 1978 when Sowar Bhanwaroo Ram of an Armoured Corps Regiment was working on his vehicle heard a fire alarm. He immediately rushed to the spot where a major fire had broken out. As most of the local houses in the area are made of bamboo and thatch, the fire spread rapidly to the adjoining buildings and huts. He heard that there was an old man trapped in a burning hut. He

immediately entered the hut and extricated the man who was in a state of shock.

Sowar Bhanwaroo Ram thus displayed courage and promptitude in rescuing an old man entrapped in a hut on fire, disregarding the risk involved to his own life.

23. 5444604 Rifleman Dor Bahadur Rana,
6/5 Gorkha Rifles,
C/o 99 APO.

On the 2nd July, 1978, a child Hira Devi (7 years) slipped and fell into a water tank while playing with other children. Rifleman Dor Bahadur Rana, who was passing by heard the panic stricken cries of the girl, rushed to the scene of occurrence and immediately jumped into the tank although he was not an expert swimmer. By his sheer will power he managed to rescue the girl.

Rifleman Dor Bahadur Rana thus displayed courage and promptitude in rescuing the girl from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

24. Shri Sudarshan Singh Bedi (G/126324),
Superintendent, BR (Grade II), GREF,
418 RMP, Care 86 RCC (GREF),
C/o 99 APO.

25. Shri Bhopal Singh (G/120935),
MT Driver, GREF,
574 (I) TPT Platoon (GREF),
C/o 99 APO.

26. Shri Ram Bahadur,
Casual Personnel Labourer, GREF,
86 Road Construction Coy (GREF),
C/o 99 APO.

On the 21st June, 1977 Superintendent BR Grade II Shri Sudarshan Singh Bedi received a message that OEM Pakderi Ramchandran had been trapped in a land slide area at one of the work sites while proceeding to operate a bulldozer for the clearance of a road block.

Shri Bedi accompanied by Shri Bhopal Singh, MT Driver and Shri Ram Bahadur, Casual Personnel Labourer, immediately rushed to the spot through hazardous terrain and found OEM Ramchandran buried upto his shoulders under boulders and earth. In spite of the continuous rolling down of boulders they extricated and carried OEM Ramchandran to a safer place. In fact no sooner had he been lifted into a vehicle and driven off to the hospital for treatment, than a huge land slide came down at the very spot where the vehicle had been parked.

Sarvashri Sudarshan Singh Bedi, Bhopal, Singh and Ram Bahadur displayed courage and promptitude in rescuing OEM Ramchandran from land slide area at great personal risk.

27. Shri Tummala Sreramachandra Rao,
Circlepet, Machilipatnam-521001,
Andhra Pradesh.

On the 19th September, 1977, Shri P. Naganna, Inspector of Post Offices, inspected the Branch Post Office at Vadapalma, Shri Tummala Sreeramachandra Rao, an orderly had accompanied him. Towards the evening, the village was hit by cyclone. Shri Naganna and Shri Rao took shelter in a local school building along with one Shri G. Solomon. Shortly thereafter the place was enguled by the tidal wave which entered the school building also. Soon the water started rising inside the school building. Shri Rao dipped his blanket in the tidal wave, twisted it, threw it at the rafters on the roof and managed to reach there by using the wet blanket as a rope. By this time, the water rose neck high in the school room and he managed to pull up Shri Solomon who is short statured.

Shri Rao then noticed a woman with her daughter (22 years) and two small children (6 years and one year) left in the school room crying out for help. He came down the twisted blanket tied to the rafters. While he was trying to lift the children, he fell into the water as the blanket was of insufficient length. At this juncture, the woman gave her saree which she was wearing to him. Shri Rao then tied the same to the end of the hanging blanket and lifted the children who were pulled by Shri Solomon standing on the rafters. Shri Rao also helped the woman and her daughter to remain safe in the window. Sarvashri Rao and Solomon held children till dawn under tremendous strain and shivering cold.

Shri Tummala Sreeramachandra Rao displayed great courage and promptitude in saving three human lives from cyclone.

K. R. GUPTA
Deputy Secretary to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 31st January 1979

No. 12/1/79-CS.II.—The rules for competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Ministry of Home Affairs) (Department of Personnel and Administrative Reforms) New Delhi, once every two months during the year 1979, on Second Saturday and Sunday and, if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade D of the Central Secretariat Stenographer's Service are published for general information.

2 The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission. The approximate number for each examination will be 50. Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constituiton Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territores) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order; 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 [the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962] the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968; the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 and Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed in the Appendix I to these Rules. For the purpose of admission they will be required to submit applications, on plain paper as in the form given in Appendix II, which shall, after due scrutiny will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection Commission latest by the 1st of the month preceding the month in which the examination is to be held.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Central Secretariat Clerical Service shall

be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

(1) *Length of Service*.—He should have, on the 1st January, 1979 rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1.—The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2.—Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an *ex-cadre* post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3.—Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service rules, 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Services as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) *Age*.—He should not be more than 50 years of age on the 1st January, 1979 *i.e.* he must not have been born earlier than 2nd January, 1929.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxazle :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyka and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June. 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes;

(xi) up to maximum of three years in the case of Border Security personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam, and has migrated to India, not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed of Rs. 8/- (Rupees eight only) for general candidates and Rs. 2/- (Rupees two only) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates either by postal orders or bank draft.

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) Misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in one list, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade D of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade D on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX I

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE :—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa*, after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th November 1978

RESOLUTION

SUBJECT :—*Setting up of Standing Committee on Industrial Cooperatives.*

No. 6(32)/78-ICC.—The Government of India have further decided to enlarge the membership of the Standing Committee on Industrial Cooperatives by including the following member :—

Shri Vayalar Ravi,
Member of Parliament,
Lok Sabha,
NEW DELHI.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information and that it be sent to all concerned.

S. J. COELHO, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 30th January 1979

RESOLUTION

No. 33012/2/78-Econ.Py.—The Government of India have had under consideration for some time the question of reviewing methdology, procedures and other related matters concerning cost of production estimates. It has now been decided to constitute a Special Expert Committee to examine the above problem and make recommendations in this regard.

2. The composition of the Special Expert Committee will be as under :—

Chairman

1. Dr. S. R. Sen,
Former Executive Director,
International Bank for Reconstruction and Development.
Washington D.C.

Members

2. Dr. C. H. Hanumantha Rao,
Director,
Institute of Economic Growth,
Delhi University,
Delhi.

3. Dr. Daroga Singh,
Director,
Indian Agriculture Statistical Research Institute,
Library Avenue,
Pusa,
New Delhi.

Dr. S. P. Pant, Economist, Directorate of Economics and Statistics will act as Secretary to the Committee.

3. The terms of reference of the Committee shall be as under :

(i) To examine the design, content and methodology adopted in regard to generation of cost of production estimates under the Comprehensive Scheme for Studying the Cost of Cultivation/Production of various crops;

(ii) to examine the present arrangements for the collection of data at the field level and its scrutiny and processing for generating cost of production estimates at the Central level;

(iii) to suggest methods of curtailing delays in the availability of cost of production estimates for various crops;

(iv) to examine the question of extending the coverage of cost of Production Studies in terms of crops/varieties and states;

(v) to suggest methods of working out a comparable series of input prices on the basis of available data collected for cost of production studies; and to make recommendations.

4. The Committee shall submit its report in six months' time.

5. The Committee will meet as often as necessary.

6. Necessary Sectt. assistance to the Committee will be provided by the Department of Agriculture (Directorate of Economics and Statistics).

7. T.A./D.A. in respect of non-official mmebers of the Committee for their tours, etc. if any, outside Delhi, in connection with the work of the Committee, will be borne by the Government of India in the Department of Agriculture (Directorate of Economics and Statistics).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister Secretariat, President Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all members of the Special Expert Committee, Dr. S. P. Pant, Economist, Directorate of Economics and Statistics, and all attached and subordinate offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation, all Officers of the Department of Agriculture and Directorate of Economics and Statistics, Director General, Indian Council of Agricultural Research & Secretary (DARE), Chairman and Member Secretary, Agricultural Prices Commission, Director (Public Relations).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. V. K. RAO, Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th February 1979

No. 50/21/77-Adm.I.—In the context of the growth of the power sector over the various Five Year Plan periods, a number of Thermal Power Stations with larger unit sizes, operating on high steam parameters have been set up in the country. These Thermal Power Plants involve heavy capital investment and are equipped with highly sophisticated equipment. In order to secure adequate number of personnel to operate and maintain such equipment, the Government of India decided to set up Thermal Power Station Personnel Training Institutes, to train personnel in the operation and maintenance of these modern power plants. The first of the Institutes was set up at Neyveli in the year 1965 and subsequently, three more Institutes were established at Durgapur, Delhi and Nagpur, in the years 1968, 1974 and 1975 respectively.

2. With the expansion and increase in generating capacity, there has been a large growth in the transmission net-work in the country. In order, therefore, to meet the requirement of trained personnel in the transmission branch, a Power System Training Institute (orginally called the Load Despatching Training Institute) was set up in Bangalore in the year 1971. Subsequently, another training unit, the Hotline Training Centre was established in Bangalore, in 1975, with the object of training personnel in hotline maintenance techniques both by utilising hotstick method and bare-hand techniques.

3. Experience has proved that the existing set up of the Training Establishments is not adequate to meet the growing needs and responsibilities of training. The departmental structure, inhibits flexibility of operation so vitally required for a Training Institution. The fulfilment of the requirement for specialists in various disciplines on the faculty of the Institute together with the induction of outside expertise and other inputs, for specific programmes is not easily achieved under the present form of management as subordinate offices under the Ministry.

4. It has, therefore, been decided to reorganize these Institutes into a Society which will function as the apex national body for fulfilling the training requirements of the power sector in the country by co-ordinating the training programmes of the various utilities and supplementing the same with its own training activities. The Society will function through a Governing Council which will have broad-based representation, including persons from allied fields and disciplines, the Central Electricity Authority, Ministry of Energy, and Finance.

5. The actual transfer of the existing Institutes will be done after the issue of orders in each case.

6. The Chairman of the Society and the Governing Council will be the Secretary, Department of Power.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries and Department of the Government of India, State Governments, Union Territories Administrations and all others concerned.

P. M. BELLIAPPA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979